मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

खण्ड XVI | अंक 5 | नवंबर 2020

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	विनियमन	1
II.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
III.	वित्तीय समावेशन	3
IV.	वित्तीय बाजार	3
V.	विदेशी मुद्रा	4
VI.	प्रकाशन	4
VII.	जारी आंकडे	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा नवंबर महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिकृया का mcirrbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

निजी बैंक संबंधी आईडबल्यूजी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने हेतु 12 जून 2020 को गठित आंतरिक कार्य समूह (आईडबल्यूजी) की रिपोर्ट 20 नवंबर 2020 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा है।

आंतरिक कार्य समूह (आईडबल्यूजी) की संरचना इस प्रकार थी:

- डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती, निदेशक, रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड
- प्रो. सचिन चतुर्वेदी, निदेशक, रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड
- श्रीमती लिली वडेरा, कार्यपालक निदेशक (सेवानिवृत्त), भारतीय रिज़र्व बैंक
- श्री एस. सी. मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
- श्री श्रीमोहन यादव, मुख्य महाप्रबंधक, रिज़र्व बैंक संयोजक

आईडबल्यूजी के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार थीं

i) भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित वर्तमान लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों और विनियमों की समीक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं और स्वामित्व और नियंत्रण के अत्यधिक संकेंद्रण के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मानदंड सुझाना;

ii) बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्तियों / संस्थाओं के पात्रता मानदंड की जांच और समीक्षा करना और सभी संबंधित मुद्दों पर सिफारिश प्रस्तुत करना;

iii) गैर-सहकारी वित्तीय धारिता कंपनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की धारिता पर वर्तमान नियमों का अध्ययन करना और एक परिवर्तन पथ उपलब्ध कराते हुए इस विषय पर सभी बैंकों को एक समान विनियमन पर अंतरित (माइग्रेट) करने का मार्ग सुझाना;

iv) प्रारंभिक / लाइसेंसिंग चरण में प्रमोटर के शेयरधारिता के मानदंडों और तत्पश्चात विलयन की समय-सीमा के साथ शेयरहोल्डिंग की जांच और समीक्षा करना; तथा,

v) विषय- वस्तु से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे की पहचान करना और उन पर सिफ़ारिशें प्रस्तुत करना।

आईडबल्यूजी की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i) लंबी अवधि (15 वर्ष) में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी पर सीमा (कैप) को बैंक के प्रदत्त वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी के 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जा सकता है।

ii. गैर-प्रवर्तक शेयरधारिता के संबंध में, सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बैंक की प्रदत्त वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी का 15 प्रतिशत का एक समान कैप निर्धारित किया जा सकता है।

iii. बड़े कॉरपोरेट / औद्योगिक घरानों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन के बाद ही बैंकों के प्रवर्तकों के रूप में अनुमति दी जा सकती है (बैंकों और अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय समूह संस्थाओं के बीच जुड़े हुए उधार और जोखिम को रोकने के लिए); और समेकित पर्यवेक्षण सहित बड़े समूहों के लिए पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करना।

iv. अच्छी तरह से चल रही बड़ी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ (एनबीएफ़सी), जिनकी परिसंपत्ति का आकार ₹ 50,000 करोड़ या उससे अधिक है, जिनमें कॉरपोरेट घराने के स्वामित्व वाले भी शामिल हैं, को बैंकों में रूपांतरण के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते परिचालन के 10 वर्ष पूर्ण हुए हो तथा तत्परता से मानदंड का अनुपालन और इस संबंध में निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन हो रहा हो।

v. भुगतान बैंकों जो एक लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने का इरादा रखते हैं के लिए, भुगतान बैंक के रूप में 3 वर्षों के अनुभव का ट्रैक रिकॉर्ड पर्याप्त माना जा सकता है।

vi. लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक 'सार्वभौमिक बैंकों के लिए निर्धारित मौजूदा प्रविष्टि पूंजीगत अपेक्षाओं के बराबर निवल मालियत (नेट वर्थ) तक पहुँचने की तारीख से 6 वर्ष' के भीतर या 'परिचालन शुरू होने की तारीख से 10 वर्ष', जो भी पहले हो सूचीबद्ध हो सकते हैं।

vii. नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजीगत अपेक्षाओं को सार्वभौमिक बैंकों के लिए ₹ 500 करोड़ से ₹1000 करोड़ और छोटे वित्त बैंकों के लिए ₹ 200 करोड़ से ₹ 300 करोड़ तक बढ़ाया जाना चाहिए।

viii. परिचालनेत्तर वित्तीय धारक कंपनी (एनओएफएचसी) को सार्वभौमिक बैंकों के लिए जारी किए जाने वाले सभी नए लाइसेंसों के लिए अधिमान्य संरचना बने रहना चाहिए।

ix. जबकि 2013 से पहले लाइसेंस प्राप्त बैंक अपने विवेक से एनओएफ़एचसी संरचना में जा सकते हैं, एक बार एनओएफ़एचसी संरचना कर-तटस्थ स्थिति प्राप्त कर लेती है, तो 2013 से पहले लाइसेंस प्राप्त सभी बैंक कर-तटस्थता की घोषणा से 5 वर्षों के भीतर एनओएफ़एचसी संरचना में चले जाएंगे।

x. जब तक एनओएफ़एचसी संरचना को व्यवहार्य और परिचालन योग्य नहीं बनाया जाता है, तब तक सहायक कंपनियों / संयुक्त वेंचर्स / सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां करने वाले बैंकों के संबंध में चिंताओं को उपयुक्त विनियमों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

xi. वर्तमान में एनओएफ़एचसी संरचना के अंतर्गत आने वाले बैंकों को ऐसी संरचना से बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है यदि उनके पास अन्य समूह संस्थाएं नहीं हैं।

xii. रिज़र्व बैंक भिन्न-भिन्न लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों में सामंजस्य और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा सकता है।

रिपोर्ट हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गई है, जिसे 15 जनवरी 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एलवीबी पर अधिस्थगन आदेश

दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (दि बैंक) की वित्तीय स्थिति, पिछले तीन वर्षों में लगातार घाटे में चल रही बैंक के साथ लगातार घट रही है, जिससे इसकी निवल मालियत का क्षय हो रहा है। रिज़र्व बैंक, बैंक के प्रबंधन के साथ पूंजीगत पर्याप्तता मानदंडों का पालन करने के लिए पूंजीगत निधि को बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए लगातार कोशिश करता रहा है।

इन घटनाक्रमों पर विचार करने के बाद, बैंक के जमाकर्ताओं के हित में और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक विश्वसनीय पुनर्गठन योजना के अभाव में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत अधिस्थगन लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर विचार करते हुए 17 नवंबर 2020 से प्रभावी रूप में तीस दिनों के लिए अधिस्थगन आदेश लागू किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

निदेशक मंडल का अधिक्रमण

रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार के परामर्श से, बैंक की वित्तीय स्थिति में गंभीर गिरावट को देखते हुए, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को 30 दिनों की अवधि के लिए अधिक्रमित कर दिया है। श्री टी.एन.मनोहरन, कैनरा बैंक के पूर्व गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 36 ए सी ए की उप-धारा (2) के तहत प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

समामेलन की डाफ्ट्र योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर 2020 को पब्लिक डॉमेन में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, के साथ दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) के समामेलन की डाफ्ट्र योजना रखी। रिज़र्व बैंक ने हस्तांतरणकर्ता बैंक (एलवीबी) और हस्तांतरी बैंक (डीबीआईएल) के सदस्यों, जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों से डाफ्ट्र योजना पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो, आमंत्रित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एलवीबी की शाखाएँ डीबीएस की शाखाओं के रूप में संचालित होगी

भारत सरकार ने 25 नवंबर 2020 को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। समामेलन 27 नवंबर 2020 से प्रभावी हो गया। 27 नवंबर 2020 से लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। 27 नवंबर 2020 से लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के ग्राहकों, जमाकर्ताओं सहित अपने खातों को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के ग्राहक के रूप में संचालित कर सकेंगे। फलस्वरूप, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का अधिस्थगन उस तारीख से प्रभावी होना बंद हो गया। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के ग्राहकों को पहले जैसी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने आवश्यक व्यवस्था की है।

एफ़एटीएफ़ निगरानी

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने दिनांक 23 अक्तूबर 2020 के सार्वजनिक दस्तावेज़ 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिमवाले क्षेत्राधिकार' के द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी इन क्षेत्राधिकारों से संबंधित विवरण का संदर्भ लें। ये क्षेत्राधिकार हैं अल्बानिया, बहामास, बार्बाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, जमैका, मॉरीशस, म्यानमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, यमन और ज़िम्बाब्वे। सार्वजनिक विवरण के अनुसार, अक्तूबर 2020 के एफएटीएफ प्लेनरी में लिए गए निर्णय के आधार पर आइसलैंड और मंगोलिया अब बढ़ती निगरानी के अधीन नहीं हैं। एफएटीएफ प्लेनरी कार्यनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध (सीएफटी) में आनेवाली कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों की पहचान और निवारण के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में कार्यनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों के संबंध में 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिमवाले क्षेत्राधिकार' और 'बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार' शीर्षक से दस्तावेज जारी करती है।

यह सूचना 23 अक्तूबर 2020 को एफएटीएफ द्वारा जारी अद्यतित सार्वजनिक विवरण और दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज़ को यहाँ क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है।

चालू खाता

रिज़र्व बैंक ने 02 नवंबर 2020 को बैंकों को दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र DOR.No.BP.BC / 7 / 21.04.048 / 2020-21 के निर्देशों का अनुपालन 15 दिसंबर 2020 तक सुनिश्चित करना सूचित किया। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे परिपत्र जारी करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, अर्थात 5 नवंबर 2020 तक उक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। रिज़र्व बैंक को बैंकों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें बैंकों द्वारा पहले से खोले गए चालू खातों के रखरखाव के बारे में परिचालनगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन पत्रों की रिज़र्व बैंक द्वारा जाँच की जा रही है और इन्हें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) द्वारा अलग से स्पष्ट किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब

रिज़र्व बैंक ने 06 अगस्त 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में, घोषित किया था कि बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना करेगा। आरबीआईएच को एक गवर्निंग काउंसिल (जीसी) के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन, सह-संस्थापक और पूर्व सह-अध्यक्ष, इंफोसिस को आरबीआईएच का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री गोपालकृष्णन वर्तमान में स्टार्ट-अप विलेज, स्टार्ट-अप के लिए इंनक्यूबैशन हब, के मुख्य संरक्षक हैं।

आरबीआईएच एक इको-सिस्टम सृजित करेगा जो वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। हब वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, प्रौद्योगिकी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा और विचारों के आदान-प्रदान और वित्तीय नवाचारों से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के लिए प्रयासों का समन्वय करेगा। यह फिनटेक रिसर्च को बढ़ावा देने और इनोवेटर्स और स्टार्ट-अप के साथ जुड़ाव को आसान बनाने के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब

रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर 2020 को घोषित किया कि दो संस्थाओं ने, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। रिज़र्व बैंक को 32 संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से छह को 'परीक्षण चरण' के लिए चुना गया है।

i) नैचुरल सपोर्ट कंसल्टंसी सर्विसेस प्रा. लि. जयपुर -उत्पाद 'eRupaya' ऑफलाइन पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन और दूरदराज के स्थानों में ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफ़सी) आधारित प्रीपेड कार्ड और एनएफ़सी इनेबल पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) डिवाइस का एक सेट है।

ii) नुकलियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्ट्स लि. नई दिल्ली- ई-भुगतान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जुड़ने में ऑफ़लाइन डिजिटल नकद उत्पाद, 'PaySe' मदद करेगा। उत्पाद का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतानों के डिजिटिकरण में मदद करना है, जिसकी शुरुआत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से एक ऑफ़लाइन भुगतान समाधान और एक डिजिटिकृत एसएचजी केंद्रित इको प्रणाली के माध्यम से होगी। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एस्क्रो खाते का रखरखाव

रिज़र्व बैंक ने 17 नवंबर 2020 को अधिकृत प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता या एक भुगतान एग्रीगेटर (पीए) को एक अलग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक अतिरिक्त एस्क्रो खाते को बनाए रखने की अनुमति दी, जिससे विविध जोखिम और कोरोबारी निरंतरता चिंताओं का समाधान किया जा सके। एक अधिकृत पीपीआई जारीकर्ता या पीए को वाणिज्यिक बैंक के साथ निरंतर आधार पर एस्क्रो खाते को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के तहत निदेश जारी किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. वित्तीय समावेशन

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को सह-उधार

रिज़र्व बैंक ने 05 नवंबर 2020 को उधारदात्री संस्थानों को और अधिक परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान किया, हालांकि इसके लिए उन्हें आउटसोर्सिंग, केवाईसी, आदि पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। संशोधित योजना, जिसका सह-उधार मॉडल (सीएलएम) के रूप में फिर से नामकरण किया गया, का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सेवा रहित और अपर्याप्त सेवा वाले क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में सुधार लाना तथा बैंकों से मिलने वाले ऋण की कम लागत एवं एनबीएफसी की विस्तृत पहुंच को देखते हुए अंतिम लाभार्थी को किफायती कीमत पर ऋण उपलब्ध कराना है। सीएलएम के संदर्भ में, बैंकों को पूर्व करार के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के साथ सह-उधार प्रदान करने की अनुमति है। सह-उधार देने वाले बैंक अपनी बहियों में व्यक्तिगत ऋणों के हिस्से को बैक-टू-बैक आधार पर लेंगे। सीएलएम, 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों (डब्लूओएस सहित) पर लागू नहीं होगा। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाजार

टीएलटीआरओ/ टीएलटीआरओ 2.0 की चुकौती

रिज़र्व बैंक ने 6 नवंबर 2020 को अनुरोधों को जमा करने की तारीख 20 नवंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया। जिन बैंकों ने टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत धनराशि ली थी, उन्हें परिपक्वता से पहले इन लेनदेन को रिवर्स करने का विकल्प दिनांक 21 अक्तूबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2020-2021/521 के द्वारा प्रदान किया गया। बैंकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, 28 अक्टूबर 2020 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2020-2021/551 द्वारा अनुरोधों को प्रस्तुत करने और चुकौती विकल्प के प्रयोग की तारीखों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया । विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार ट्रेडिंग घंटे का पुनः प्रचलन

रिज़र्व बैंक ने 02 नवंबर 2020 को चरणबद्ध तरीके से विनियमित बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटे को पुनः प्रचलन में लाने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए 7 अप्रैल 2020 से प्रभावी ट्रेडिंग घंटे को कोविड-19 के कारण होने वाली परिचालनात्मक अव्यवस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया। ट्रेडिंग घंटे को देखने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

रिपोर्ट / विवरणियां को बंद किया जाना

रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2020 को, 01 जनवरी 2016 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश के अनुलग्नक में सूचीबद्ध 17 रिटर्न / रिपोर्ट को बंद कर दिया। इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11(2) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

बीओ/एलओ/पीओ की स्थापना

रिज़र्व बैंक ने 23 नवंबर 2020 को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को एतद्द्वारा निदेशित किया कि वे विधि संबंधी व्यवसाय करने के उद्देश्य से भारत में अपने शाखा कार्यालय, परियोजना कार्यालय, संपर्क कार्यालय अथवा अन्य किसी प्रकार के कारोबारी स्थल को स्थापित करने हेतु फेमा के तहत किसी प्रकार की अनुमति न दें। इसके अलावा, वे अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के किसी प्रकार के उल्लंघन के बारे में पता चलने पर, तत्काल उसे रिज़र्व बैंक के संज्ञान में लाए। उपर्युक्त मामले के संदर्भ में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को दिनांक 29 अक्तूबर 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 द्वारा सूचित किया गया था कि रिज़र्व बैंक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा किसी भी विदेशी विधि फ़र्म को भारत में अपना संपर्क कार्यालय खोलने संबंधी मामले में, तब तक कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी / दी गई अनुमति का नवीकरण नहीं किया जाएगा, जब तक कि उक्त नीति की, अन्य बातों सहित, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में किए गए अंतिम निपटान के आधार पर समीक्षा न की जाए। इस मामले के निपटान के समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह उधृत किया गया है कि भारत में विधि संबंधी व्यवसाय संचालित करने के लिए केवल वही अधिवक्ता पात्र हैं, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत तैयार की गई नामावली में दर्ज है तथा विदेशी विधि फर्म्स/ कंपनियां अथवा विदेशी अधिवक्ता भारत में विधि संबंधी व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकते हैं।

VI. रिज़र्व बैंक प्रकाशन

एससीबी द्वारा ऋण पर बीएसआर

आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 04 नवंबर 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस पोर्टल (डीबीआईई) (वेबलिंक https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications!19) पर 'भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण पर सामान्य सांख्यिकीय विवरणी मार्च 2020' नामक वेब प्रकाशनी का विमोचन किया। प्रकाशनी में वार्षिक सामान्य सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1 प्रणाली के तहत एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित जानकारी दी गई है, जो उधारकर्ता के खाते का प्रकार, संगठन, पेशा/ गतिविधि और श्रेणी, ऋण उपयोग करने वाले स्थान का जिला और जनसंख्या समूह, ब्याज दर, ऋण सीमा तथा बकाया राशि से संबंधित जानकारी संग्रहित करता है।

प्रमुख निष्कर्ष :

❐ व्यक्तिगत ऋणों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई, मार्च 2020 में कुल ऋण में उनकी हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़कर 24.0 प्रतिशत हो गई, जो कि पाँच वर्ष पहले 16.6 प्रतिशत थी।

❐ औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऋण में और कमी आई तथा मार्च 2020 में कुल ऋण में इसकी हिस्सेदारी घटकर 30.6 प्रतिशत रह गई जोकि मार्च 2015 में 41.2 प्रतिशत थी।

❐ सभी बैंक समूहों ने 2019-20 के दौरान ऋण वृद्धि में कमी दर्ज की, हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने संवृद्धि जारी रखा।

❐ खुदरा ऋण में लगातार उच्च वृद्धि के साथ, कुल ऋण में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा मार्च 2020 में वास्तव में बढ़कर 51.0 प्रतिशत हो गया, जोकि मार्च 2015 में 41.8 प्रतिशत था।

❐ व्यक्तियों में, महिला उधारकर्ताओं ने पांच वर्ष पहले उनकी 21.1 प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में मार्च 2020 में ऋण खातों का 34.2 प्रतिशत धारित किया।

❐ 2019-20 के दौरान एससीबी के साथ क्रेडिट खातों की संख्या में 17.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई तथा मार्च 2020 में 27.25 करोड़ खाता हो गया, जो बैंक उधार की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है।

❐ हालांकि एससीबी की एक का पांचवा हिस्सा से कम शाखाएँ महानगरीय क्षेत्रों में थीं, फिर भी उन्होंने स्वीकृत ऋण का 63.5 प्रतिशत और ऋण उपयोगिता का 59.3 प्रतिशत दर्ज किया।

❐ राज्यों में, ऋण उपयोग महाराष्ट्र (23.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, इसके बाद दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) (13.0 प्रतिशत) और तमिलनाडु (9.3 प्रतिशत) रहा।

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन – नवंबर 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 नवंबर 2020 को अपने मासिक बुलेटिन के नवंबर 2020 के अंक को जारी किया। बुलेटिन में एक भाषण, सात लेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये सात लेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के लिए आर्थिक गतिविधि सूचकांक; III. घरेलू वित्तीय बचत का प्रारंभिक अनुमान – 2020-21 की पहली तिमाही; IV. भारत में मियादी प्रीमियम के निर्धारकों का पुनरीक्षण; V. भारत का श्रेष्ठ बाजार; VI. लिबोर: विकास और पतन; और VII. फिनटेक: रचनात्मक विघटन का बल।

VII. जारी आंकड़े

माह नवंबर 2020 में रिज़र्व बैंक द्वारा महत्वपूर्ण आंकड़े जारी:

	शीर्षक
1	सितंबर 2020 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के आंकड़े
2	भारत में अनुसूचित बैंकों की विवरणी की स्थिति
3	भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े सितंबर 2020
4	2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल- जून) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
5	अक्टूबर 2020 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
6	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और ऋण राशियों पर सितंबर 2020 तिमाही के लिए सांख्यिकी
7	बैंक ऋण का क्षेत्रीय विनियोजन – अक्तूबर 2020
8	नवंबर 2020 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर)

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।